मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्र. सी-6-6/97/3/1 भोपाल, दिनांक 4 जून 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निर्धारित समय में विभागीय जांच का निपटारा-एकजाई निर्देश.

मानव अधिकार आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 एवं वर्ष 1995-96 में अनुशंसा की है कि विभागीय जांच एक वर्ष की समयावधि में पूरी होना चाहिये और यदि समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तो विभागाध्यक्ष की टिप्पणी अंकित होनी चाहिये तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये. आयोग ने समय-समय पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा किये जाने की भी अनुशंसा की है.

(1) ज्ञाप क्र. 2198/2355/1/3, दिनांक 30-9-1963
(2) ज्ञाप क्र. 439/1164/1/3 दिनांक 5-7-1975
— विभागीय जांच पूर्ण होने की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी. विलम्ब के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

(3) ज्ञाप क्र. सी-6-5/76/3/1, दिनांक 8-7-1976
— सभी विभागीय जांच के प्रकरण निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जावे ताकि कर्मचारियों को लम्बी अवधि तक निलम्बित न रहना पड़े.

(4) ज्ञाप क्र. एफ. 6-2/78/3/1, दिनांक 27-9-78
— एक वर्ष से अधिक निलम्बित शासकीय सेवकों को सेवा में बहाल किये जाने की कार्य-प्रणाली:—

1. जिन मामलों में जांच आयुक्त द्वारा परीक्षा की जा रही हो, उनमें यदि शासकीय पक्ष के गवाहों का परीक्षण पूर्ण हो गया हो तो राज्य सतर्कता आयुक्त से मत प्राप्त कर बहाली की कार्यवाही की जावे.

2. अन्य मामलों में आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी का मत प्राप्त किया जावे. यह मत शासकीय गवाहों के परीक्षण बाद ही प्राप्त किया जावे. तदुपरांत आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामला विचारार्थ गठित समिति के समक्ष रखा जावेगा जिस पर समिति अपनी सिफारिश एक सप्ताह के अन्दर देगी. आनुशासनिक प्राधिकारी सिफारिश पर विचार कर बहाली की कार्यवाही करेगा.

(5) ज्ञाप क्र. सी-6-2/78/3/1, दिनांक 16-11-1979
— ज्ञापन दिनांक 27-9-78 में समिति द्वारा उन्हीं प्रकरणों का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया था जिनमें शासकीय पक्ष के गवाहों का परीक्षण पूर्ण हो गया हो. अब निर्णय लिया गया कि जिन शासकीय सेवकों के निलम्बन को एक वर्ष से अधिक हो गया हो वे सभी प्रकरण

परीक्षण हेतु राज्य सतर्कता आयुक्त या गठित समितियों के समक्ष रखे जायेंगे.

2. विभागीय जांच आयुक्त या समितियां निलम्बन आदेश समाप्त किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार कर अनुशंसा करेगी:—

(1) आरोप कितने गंभीर हैं?
(2) आरोप प्रमाणित होने पर शासकीय सेवक को दीर्घशास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या लघुशास्ति?
(3) क्या निलम्बित शासकीय सेवक द्वारा जांच प्रगति में अवरोध तो नहीं डाला जा रहा है.
(4) निलम्बन समाप्त किये जाने पर किस तरह का कार्य कराया जाय ताकि वह पद का दुरुपयोग न कर सके.

3. निलम्बन के संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शी अनुदेशों एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र 1-13 की कंडिका 8 में उल्लेखित निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये निलम्बन सिर्फ असाधारण प्रकरणों में किया जाना चाहिये, जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो.

(6) ज्ञाप क्र. सी-6-2/78/3/1, दिनांक 9-4-1980 — निलम्बन के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु समिति का गठन:—

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) विभागीय सचिव	सदस्य
(3) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

(7) ज्ञाप क्र. 4-8/86/कापसु/1, दिनांक 25-9-1986 — समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का स्मरण कराया गया. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 6 (4) का इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5/83/3/1, दि. 23-7-84 द्वारा लोप किया जाना. इस उप नियम में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दीर्घ शास्ति हेतु जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रेषित करने के साथ-साथ एक कारण बताओं सूचना पत्र भी देने का प्रावधान था, जो अब विलोपित किया गया. अब ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं है. जांच के प्रकरणों में अंतिम आदेश निर्धारित समयावधि में पारित करना सुनिश्चित किया जावें.

(8) ज्ञाप क्र. सी-5-2/87/3/1, दिनांक 16-4-1987 — जांच की विभिन्न प्रावस्थाओं में लगने वाले समय का निर्धारण. सम्पूर्ण कार्यवाही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण करने बाबत् निर्देश. विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना सारणी संलग्न.

(9) ज्ञाप क्र. 486/एफ-708/3, दिनांक 22/23-8-1990 — शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में जांच प्रकरणों में प्रगति हेतु एवं समीक्षाएं किये जाने हेतु निर्देश.

(10) ज्ञाप क्र. सी-12/39/1/3/91, दिनांक 27-7-91 — एक वर्ष से अधिक लम्बित जांच प्रकरणों की छः माही समीक्षा किये जाने के निर्देश.

(11) ज्ञाप क्र. 248/1278/1/3, दिनांक 27-6-1994 — मा. मुख्यमंत्रीजी के निर्देशानुसार एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में जांच प्रकरणों का निपटारा किये जाने बाबत् निर्देश.

(12) ज्ञाप क्र. सी-6-2/97/3/1, दिनांक 10-3-1997 — विभागीय जांच प्रकरणों का शीघ्र निपटारा, सेवा-निवृत्त अधिकारियों की संविदा आधार पर जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधि. के पदों पर नियुक्ति.

3. सन्दर्भित निर्देशों के लागू रहने के बावजूद यह पाया गया है कि अनेक विभागीय जांच के प्रकरण अनावश्यक रूप से दीर्घ समय तक लम्बित रहते हैं जिसके फलस्वरूप शासन और शासकीय सेवकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है. अतएव यदि किसी प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलम्ब किसी स्तर पर होता है तो यथोचित कारणों के न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. विलम्ब की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा विलम्ब के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेगा.

4. जांच प्रकरणों में विलम्ब की स्थिति कों समाप्त करने के लिए शासन ने इस विभाग के परिपत्र क्र. सी.-6-2/97/3/1, दिनांक 10-3-97 द्वारा निर्देश जारी किये हैं कि जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की संविधा-नियुक्ति सेवानिवृत्त अधिकारियों के पैनल में से की जावे. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराया जाना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुत कराया जाना) अधिनियम 1979 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया. उक्त संशोधन से जांच अधिकारी को यह अधिकार सीधे प्राप्त हो गये हैं कि वह साक्षियों को सम्मन जारी कर सकें एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करा सकें.

5. शासन अपेक्षा करता है कि समय-समय पर विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा की जावे और ऐसे प्रकरणों के निराकरण में तत्परता बरती जावे. जांच में विभिन्न स्तर के लिये निर्धारित समय-सीमा की सारणी पुनः संलग्न की जा रही है. कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(आलोक श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी.-6-6/97/3/1, भोपाल, दिनांक 4 जून 1997

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
3. मान. मुख्यमंत्रीजी/उप मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज़ सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थाएं एवं उनके लिए निर्धारित समयावधि की सारणी

1.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना.	प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह.
2.	आरोप पत्रादि जारी किया जाना.	अधिकतम एक माह.
3.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर विहित समयाविध में प्राप्त करना. (यह अवधि आरोप-पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी).	सात दिन से एक माह.
4.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधि. की नियुक्ति.	सात दिन से एक माह.
5.	जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना:—	
	(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अतिकतम 6 माह.
	(ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम 3 माह.
6.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अन्तिम (प्रस्तावित) या अन्तिम शास्ति (लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना—	
	(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम 3 सप्ताह.
	(ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—	अधिकतम 2 सप्ताह.
7.	आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिये अंतिम आदेश पारित करना.	अधिकतम 2 सप्ताह.